मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल 462004

क्रमांकः 1308 **/1147/2020/38-2** **भोपाल, दिनांकः** 18 **/08/2023**

प्रति

समस्त प्राचार्य
शासकीय महाविद्यालय
मध्यप्रदेश।

विषय: मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास पाठ्यक्रम (CMCLDP) अंतर्गत बी.एस.डब्ल्यू. तथा एम्.एस.डब्ल्यू. की कक्षाओं के संचालन के लिए महाविद्यालय परिसर में कक्ष एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने के संबंध में।

संदर्भ: उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन का पत्र क्रमांक 1703/1147/2020/38-2 दिनांक 22.10.2021

संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश के समस्त 313 विकासखंडों में बी.एस.डब्ल्यू (सामुदायिक नेतृत्व एवं सतत विकास) तथा एम्.एस.डब्ल्यू (सामुदायिक नेतृत्व एवं सतत विकास) पाठ्यक्रम के संचालन हेतु विकासखंड मुख्यालय पर उपलब्ध महाविद्यालय भवन में विभिन्न व्यवस्थाएं किये जाने के निर्देश जारी किये गए है। इसी क्रम में शैक्षणिक सत्र 2023-24 में बी.एस.डब्ल्यू (सामुदायिक नेतृत्व एवं सतत विकास) तथा एम्.एस.डब्ल्यू (सामुदायिक नेतृत्व एवं सतत विकास) पाठ्यक्रम की प्रथम एवं द्वितीय वर्ष की कक्षाओं का संचालन दिनांक 13 अगस्त 2023 (रविवार) से प्रारंभ किया गया है। इस हेतु निम्नानुसार व्यवस्थाएं/उत्तरदायित्वों का निर्वहन किया जाना सुनिश्चित करें-

1. विकासखंड मुख्यालय पर उपलब्ध शासकीय महाविद्यालय उक्त पाठ्यक्रम हेतु महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय के अध्ययन केंद्र होंगे।
2. महाविद्यालय के प्राचार्य इस पाठ्यक्रम हेतु अध्ययन केंद्र प्रभारी होंगे।
3. कक्षा संचालन हेतु 04 कक्ष(यथा संभव स्मार्ट क्लास की सुविधा युक्त), प्रसाधन, अलमारी, पुस्तकालय, स्टाफ रूम एवं कंप्यूटर लैबोरेट्री की व्यवस्था करें।
4. कक्षाएं केवल रविवार को संचालित की जायेंगी। रविवार के दिन कक्ष उपलब्ध न होने अथवा किसी विशेष परिस्थिति में अन्य दिवस में भी कक्षाएं इस प्रकार संचालित की जा सकती है कि महाविद्यालय के सामान्य अध्ययन-अध्यापन, समय-सारणी एवं अन्य कार्यों में कोई बाधा उत्पन्न न हो।
5. प्रत्येक रविवार को कक्षा संचालन की आवश्यक व्यवस्था हेतु प्रभारी व्यक्ति का तथा पेयजल व्यवस्था व साफ़-सफाई एवं अन्य कार्यों के लिए एक भृत्य का नामांकन करें। इन व्यक्तियों को मानदेय का भुगतान मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद द्वारा किया जावेगा।
6. अर्धवार्षिक, प्रायोगिक एवं वार्षिक परीक्षा के आयोजन में अध्ययन केंद्र प्रभारी प्राचार्य एवं अन्य स्टाफ द्वारा अकादमिक/प्रशासनिक सहयोग प्रदान किए जावेगा, इस हेतु निर्धारित राशि चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जावेगी।
7. कक्षाओं के संचालन हेतु म.प्र. जन अभियान परिषद् के जिला/विकासखंड समन्वयकों द्वारा आपसे संपर्क/समन्वयन किया जावेगा।

18.08.23

(डॉ. आलोक निगम)
अपर सचिव
म.प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग

क्रमांकः 1309 /1147/2020/38-2 भोपाल, दिनांकः 18 /08/2023

प्रतिलिपिः

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन।
2. निज सहायक, माननीय मंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल।
3. निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल।
4. निज सहायक, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग।
5. निज सहायक, कार्यपालक निदेशक, म.प्र. जन अभियान परिषद्।
6. आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।
7. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश।
8. प्रभारी आईटी, उच्च शिक्षा, मंत्रालय, भोपाल की ओर वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
9. गार्ड फाइल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

18.08.23

अपर सचिव

म.प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग